भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1236

दिनांक 09 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के अंतर्गत पेंशनभोगियों हेतु वार्ड पात्रता

1236: श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस के अंतर्गत 'वार्ड पात्रता' में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ख) क्या सरकार का सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस के अंतर्गत 'वार्ड पात्रता' में संशोधन करने के लिए अलग से आदेश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधित आदेश किस तारीख तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित अनेक पेंशनभोगियों को संशोधित पात्रता से वंचित किया जा रहा है और बदलाव करने से सम्बन्धित उनके आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित तत्संबंधी राज्यसंघ राज्यक्षेत्र -वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सीजीएचएस लाभार्थियों की वार्ड पात्रता को दिनांक 09.01.2017 के पिछले सम संख्या का. ज्ञा. में आंशिक संशोधन करते हुए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के का. ज्ञा. संख्या एस.11011/1/2016-सीजीएचएस (पी)/ईएचएस द्वारा संशोधित किया गया था :

अधिकारी द्वारा आहरित संगत मूल वेतन (एमओएचएफडब्ल्यू ओएम दिनांक 09.01.2017 के अनुसार)	अधिकारी द्वारा आहरित संशोधित संगत मूल वेतन (एमओएचएफडब्ल्यू ओएम दिनांक 28.10.2022 के अनुसार)	वार्ड की पात्रता
47,600/- रुपये तक	36,500 रुपये तक	सामान्य
रु. 47,601/- से रु. 63,100/-	रु. 36,501 से 50,500 रुपये	अर्ध निजी
63,101/-रुपये से ऊपर.	50,500 रुपये से ऊपर.	निजी

7वीं सीपीसी के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए संशोधित वार्ड पात्रता के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवेदन प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों के संबंध में वार्ड अद्यतन किया जाता है। नए सीजीएचएस कार्डों के लिए आवेदन और कार्डों में संशोधन के लिए आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसाधित किए जाते हैं। सीजीएचएस लाभार्थियों को तुरंत संशोधित वार्ड पात्रता का एक मुद्रित इंडेक्स कार्ड जारी किया जाता है। लाभार्थियों के पास अपने ऑनलाइन सीजीएचएस खाते के माध्यम से ई-सीजीएचएस कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प भी है।

*****